FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद जिला कोटा

......................पप्पूलाल उर्फ रामनिवास................... बनाम .....सरकार...............

किस्म मुकदमा ....इजराय ....   मुकदमा नम्बर   सन् ....6............../2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.02.2025	इजराय प्रार्थना पत्र, प्रार्थी पप्पूलाल उर्फ रामनिवास की ओर जरिये अधिवक्ता शिवप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। इजराय प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर पारित निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार दीगोद को पत्र जारी हो। मिसल वास्ते पालना रिपोर्ट इन्तजार में दिनांक 05.03.2025 को पेश हो।	
5/3/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पुनः पेश दिनांक------ --16/06/25--------को पेश हो [signature]	
16/6/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पुनः पेश दिनांक------ --21/07/2025--------को पेश हो [signature]	
21/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। इजराय पालना प्राप्त हुई। जो शामिल फाईल की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

राष्ट्रीय_लोक अदालत केम्प दिनांक 22.12.2024, दीगोद जिला कोटा (राज0

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
123 / 2023	05.09.2023	22.12.2024

उनवान

1– पप्पूलाल उर्फ रामनिवास आत्मज बजरंगलाल जाति लुहार निवासी बगावदा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवास श्योपुर म0प्र0

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 भू–राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम बगावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 487 की 0.61 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 संलग्न है।

2– यह कि उक्त भूमि वादी व अन्य सहखातेदार के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामनिवास दर्ज है जब कि वादी का नाम पप्पूलाल है। वादी के आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड व पेन कार्ड , पहचान पत्र आदि में पप्पूलाल दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में रामनिवास के स्थान पर रामनिवास उर्फ पप्पूलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

3– यह कि उपरोक्त भूमि नोनेरा बांध परियोजना में अवाप्त की जा चुकी है जिसका मुआवजा प्राप्त होना है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामनिवास है ओर कागजात में पप्पूलाल है इस कारण वादी को मुआवजा प्राप्त नहीं हो सका है इस कारण वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 22.08.2023 को वादी का नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन करने पर अदालत में कार्यवाही करने को कहा गया। जिस कारण यह वाद पत्र वादी के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

4– यह कि वाद कारण वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में अलग अलग नाम दर्ज होने के कारण दिनांक 22.08.2023 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त नही करने व अदालत में कार्यवाही करने की कहने पर पैदा हुआ।

5– यह कि प्रतिवादी भूमि का लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकारा बनाया गया है। उपरोक्त मामला अर्जेन्ट नेचर एवं इमीजिएट रिलीफ से संबंधित होने के कारण प्रतिवादी को धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस नहीं दिया गया है व छूट हेतु आवेदन पत्र पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:–

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

कोटो प्रति प्रमाणित
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

कि ग्राम बगावदा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 487 की 0.61 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामनिवास के स्थान पर पप्पूलाल अथवा रामनिवास उर्फ पप्पूलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। वादी की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है:–

1– नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम बगावदा खाता संख्या 72
2– नकल छाया प्रति नोटिस मुआवजा भुगतान
3– नकल छाया प्रति परिवार कार्ड
4– नकल छाया प्रति पेन कार्ड
5– नकल छाया प्रति पहिचान पत्र
6– नकल छाया प्रति बैंक पास बुक
7– नकल छाया प्रति आधार कार्ड पप्पूलाल
8– नकल कार्यालय ग्राम पंचायत खैरूला की तस्दीक

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया:–

1– तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब सरकार में रामनिवास पुत्र बजरंगा व पप्पूलाल पुत्र बजरंगलाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना प्रकट किया है जवाब सरकार में राजस्व रिकार्ड में रामनिवास पुत्र बजरंगा के स्थान पर रामनिवास उर्फ पप्पूलाल पुत्र बजरंगलाल दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य में सहखातेदार बृजराज पुत्र बजरंगलाल का शपथ पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया है। पत्रावली को बहस पर नियत किया जाकर पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु चिन्हित किया गया।

बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार दीगोद **उपस्थित है। वादी के** अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के **बिन्दुओं** को दोहराया। राजस्व **रिकॉर्ड , जवाब सरकार एवं** वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं **अधिवक्ता** की बहस का **गहन अध्ययन व अवलोकन** किया गया।

वादी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों **तथा पत्रावली में संलग्न** उपलब्ध **राजस्व रिकॉर्ड व जवाब सरकार के अवलोकन से वादी का नाम रामनिवास** पुत्र बजरंगा के स्थान पर **पप्पूलाल उर्फ रामनिवास पुत्र** बजरंगलाल **दुरूस्त किया** जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार होने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बगावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाता संख्या 72 की खसरा नम्बर 487 की रकबा 0.61 हेक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामनिवास पुत्र बजरंगा के स्थान पर पप्पूलाल उर्फ रामनिवास पुत्र बजरंगलाल दुरूस्त किये किये जाने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

कोर्ट प्रति प्रमाणित
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

राष्ट्रीय लोकर अदालत केम्प दिनांक 22.12.2024, दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– रामनिवास उर्फ रेवडिया आत्मज कालु जाति बैरवा निवासी गांवडी तहसील दीगोद हाल निवासी गाडीया कॉलोनी, कुबेरधाम आमापुरा तहसील बांरा जिला बांरा राज0

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 भू–राजस्व अधिनियम

मिसल नं 123/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेष होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बगावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाता संख्या 72 की खसरा नम्बर 487 की रकबा 0.61 हेक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामनिवास पुत्र बजरंगा के स्थान पर पप्पूलाल उर्फ रामनिवास पुत्र बजरगलाल दुरूस्त किये किये जाने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक् निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 22.12.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)